## DGT-12/1/2016-TC Government of India

## Ministry of Skill Development and Entrepreneurship Directorate General of Training(DGT)

Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi, Dated: 09.09.2016

To

The Director, Directorate of Employment & Training, Guru Gobind Singh Marg, Lucknow - 226004, Uttar Pradesh

Subject: Grant of affiliation in additional Trades/Units to Kashi Private ITI SONBHADRA -

Sir.

- The proposals accredited by Quality Council of India (QCI), forwarded to DGT for considering grant of affiliation, were put up before the members of the Sub-Committee of National Council for Vocational Training (NCVT) dealing with affiliation of Govt./Pvt. ITI's, in its meeting held on 30th Aug. 2016 at DGT Hqrs., New Delhi for its consideration and approval.
- The Sub-Committee examined affiliation proposal and accorded approval to the following additional Trades/Units which are conforming to the NCVT Norms:

Name of Institute with address  Kashi Private ITI SONBHADRA Sukrit, Robertganj, Dist. Sonbhadra Uttar Pradesh DGT-6/24/213/2012-TC	Pin Code/ Block	MIS Code/ Existing/ New PR09000456 Existing	Trade for which affiliation sought Electrician	Units for which affiliation sought /			Remarks
				Instt.	Accredited by QCI	Submitted for Approval to Sub-Committee	
	231216			5(1+1+3)# 2(0+0+2)#	5(1+1+3)# 2 <del>(0+0+2)#</del>	5(1+1+3)# 2(0+0+2)#	A16002183 w.c.f. August 2016 #Additional units.

- 3. The affiliation of the trades/units stated above is
  - Subjected to periodic verification.
  - II. The ITI must comply with NCVT norms/guidelines issued from time to time.
  - ITI must display the newly released logo of ITI on the Display Board at the main gate. iii.
- The ITI in subject is required to submit building completion certificate (BCC) before admitting trainees iv. in subsequent session, if not submitted already.
- In case of any discrepancy observed in the affiliation orders, same may be intimated to undersigned by 25.09.2016.

Yours faithfully

(Sandhya Salwan)

Director Training/Member Secretary (NCVT) Sandhya.salwan/a nic.in

Copy to:

1. PPS-Chairman of Sub-Committee to NCVT, PPS-DDG(T), Dir. (TT Cell),

2. CEO, NABET, Quality Council of India, Concerned ITI & Office file

(Punita Bhatia) Deputy Director of Training punita.bhatia/a nic.in

प्रचक

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में

प्रधानाचार्य / प्रबन्धक काशी प्राइवेट औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र सुकरी सोनभद्र।

11 98 /टी-3/रा०प०/भा०सं०संस्तुति पत्राकः विषय:-

लखनऊ : दिनांक :

16-4-13,2012

स्थायी समिति की निरीक्षण रिपॉट के आधार पर निजी औ०प्र० केन्द्रों के व्यवसाय/यूनिटों का स्थायी सम्बन्धन प्रदान किये जाने के बारे में महा निदेशालय रोजगार एवं प्रशिक्षण, डी०जी०ई०टी० नई दिल्ली में गठित उप समिति द्वारा लिये गये निर्णय की सूचना के सम्बन्ध में।

महोदय.

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आपको सुचित किया जाता है कि आपके संस्थान से सम्बन्धित स्थायी समिति की निरोक्षण रिपांट दिनांक 30-5-2012 पर दिनांक 27-07-2012 को महानिदेशालय, सेवायोजन एवं प्रशिक्षण, नई दिल्ली में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् की उप समिति की बैठक सम्पन्न हुयी। उप समिति द्वारा आपके संस्थान से सम्बन्धित उक्त निरीक्षण रिपॉट के बारे में जो निर्णय लिया गया है, उसका उद्वरण व्यवसायवार नीचे अंकित किया जा रहा

कम संo	व्यवसाय/एकक जिनके लिए संस्थान/केन्द्र द्वारा स्थायी संबंधन का अनुरोध किया गया।		संस्तुति	अभ्युक्ति		
	का अनुसंध ह	च्या गया।	स्थायी समिति द्वारा	डीजी०ई०टी० द्वारा		
	2		3	4	5	
i-	Fitter	04(24-2)	C4(2+2)	04(2+2)	SCIR-30/5/12 W.e.f. Aug 2012	
2-	Electrician	04(2+2)	04(2+2)	04(2+2)		
	DCET 4	/24/213/201		TED 27/07/201		

प्रयोग किये गये संकेत:-

एस०सी०आई०आर०-स्थायी समिति की निरीक्षण रिपॉट

एस०आई०आर०-पुरक निरीक्षण रिपॉट

डी०आई०आर०-विभागीय निरीक्षण रिपॉट

यू०सी०-विचाराधीन

एन०आर०-संस्तृति नही किया गया।

एन०सी०-विचार नहीं किया गया।

आपसे अपेक्षा की जाती है कि भारत सरकार द्वारा बताई गई किमयों / ब्रुटियों का निराकरण समयान्तंगत करके अपनी आख्या बिन्दुवार साक्ष्य सहित दो प्रतियों में इस निदेषालय को अविलम्ब प्रेषित करें। ताकि अग्रिम कार्यवाही

विशेष :- यह भी स्पष्ट किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा यदि आपके संस्थान के वाछित व्यवसायों को मान्यता प्रदान नहीं कि गई है तो आप इन व्यवसायों में प्रवेश न करें। इन अमान्य व्यवसायों के प्रशिक्षार्थियों को आगामी अखिल भारतीय व्यवसायिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं कराया जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

भवदीय.

पत्रांक :

/टी-3/रा०प०/भा०सं०संस्तुति/ तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत् प्रेषित :-

संयुक्त निदेशक (प्रशि / शिक्षु0)वाराणसी को इस आशय से प्रेषित कि वह उपरोक्त विशेष बिन्दु पर विशेष ध्यान दें तथा संबंधित संस्थान / केन्द्र को भी अपने स्तर से अवगत कराये।

संबंधित संस्थान / केन्द्र की व्यक्तिगत पत्रावली हेत्। 2

गार्ड फाइल हेतु। 3.